



जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर
(जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल)

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :-

60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)



तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान	
इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/- रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।	
अवगतानुसार	
शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम _____	
शिक्षण संस्थान का नाम _____	

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरों में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पुर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु० तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।



राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मुंगेर
सादर अस्पताल, मुंगेर



अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फैरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

30/04/2013
सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविभागीय आयुक्त
मुंगेर

30/04/2013
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 12 (तम्बाकू) मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मुंगेर / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर, जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, कार्यक्रम मुंगेर, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 12 (तम्बाकू) मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 12 (तम्बाकू) मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना / राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना, आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर, कार्यपालक निदेशक-सह-स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।